

वारी कादीवन्ता ने एक प्रार्थना पत्र वाकत
 आवश्यक सुनवाई एवं अन्वेषण द्वारा 15)
 सी पी सी का पेश कर निवेदन किया
 कि तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्राथमिक
 रिपोर्ट की पालना में विभाजन के प्रत्येक
 कार्यालय में प्रेषित किया है निचे काज
 की रैकॉर्ड पर लेटर कंट्रोल बंद रख
 अन्वेषण रिपोर्ट जारी की जाए वारी का प्रार्थना
 पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली काज
 सुनवाई हेतु रफ्तार में तहसीलदार जोधपुर
 से प्राप्त विभाजन प्रत्येक रैकॉर्ड पर किया जाता
 है। विभाजन प्रत्येक पर वारी कादीवन्ता से
 बंद रखनी गई वारी का कार स्वीकार
 किया जाकर निर्णय प्रकृत से निकाला
 जाकर शामिल प्रकृत किया जाय। पत्रावली
 प्रकृत सुधार होकर कादीवन्ता प्रकृत से है